भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 117

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2021

कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों का बंद होना

117#. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों को बंद करना पड़ा और इस कारण छात्रों की पढ़ाई लगभग 10 महीनों तक ठप्प रही; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों का बंद होना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख) वर्ष 2020-21 में, कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया, जो अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बना, जिससे विश्व के लगभग सभी देश और क्षेत्र प्रभावित हुए और दुनिया जैसे ठहर-सी गई। यद्यपि, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए कई वैकल्पिक तरीकों से छात्रों की शिक्षा जारी रखने का जिम्मेदारी ली। यह सुनिश्चित किया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं, परीक्षाओं का आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा सहित सभी प्रमुख शैक्षिक गतिविधियाँ पूरी जाए, ताकि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो।

शिक्षा एक समवर्ती विषय है, शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया है ताकि महामारी के दौरान छात्रों के अधिगम की निरंतरता हेतु योजना बनाई जा सके और इसके लिए उपाय किए गए ताकि छात्रों को निर्बाध शिक्षा मिल सके। इस संबंध में कई दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की भी पहल की गई। छात्रों के अधिगम हानि को कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शैक्षिक गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य को तेज किया गया। मंत्रालय ने महामारी के दौरान कई पहल की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. **दीक्षा (नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल अवसंरचना)-** दीक्षा ग्रेड 1 से 12वीं तक के लिए उपलब्ध स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मंच है और इसे इसे वेब-पोर्टल तथा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यह बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम से जुड़ी ई-सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है।

ii. **स्वयं प्रभा का एक कक्षा एक टीवी चैनल-** अक्टूबर, 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए स्वयं प्रभा के 12 डीटीएच चैनल शुरू किए गए थे, ताकि ऐसे बच्चों तक सहायता उपलब्ध कराया जा सके और पहुँचा जा सके, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है।

iii. **टीवी चैनलों, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग**- दूरदराज के क्षेत्रों में उन बच्चों के लिए रेडियो प्रसारण का उपयोग किया जा रहा है जो ऑनलाइन

नहीं आ सकते हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को ग्रेड 9 से 12 के लिए एनआईओएस हेतु सामग्री प्रसारित करने के लिए भी उपयोग में लाया गया है।

iv. **दिव्यांगों के लिए-** विशेष रूप से श्रवण बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा में एक डीटीएच चैनल संचालित किया जा रहा है। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए, डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली (डीएआईएसवाई) और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री तैयार की गई है; दोनों एनआईओएस वेबसाइट / यू-ट्यूब पर उपलब्ध हैं।

v. **ई-पाठ्य पुस्तकें -** ई-पाठ्यपुस्तकों को ई-पाठशाला वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज) का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।

vi. **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संसाधन रिपोजिटरी (एनआरओईआर)-** एनआरओईआर, ई-सामग्री का एक खुला भंडार है। विभिन्न स्कूली विषयों के लिए सभी ग्रेड के लिए ई-सामग्री उपलब्ध हैं।

vii. **वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर: -** एनसीईआरटी द्वारा ग्रेड 1 से 12वीं के लिए सहायता एवं स्वयं अधिगम हेतु सप्ताह-वार योजना तैयार की गई है। इसमें पाठ्यक्रम में विषयों/ थीम से संबंधित दिलचस्प गतिविधियाँ और चुनौतियाँ शामिल हैं। यह अधिगम परिणामों के साथ विषयों/ थीम तैयार करता है और विभिन्न तरीकों से छात्रों के अधिगम की प्रगति का आकलन करने हेतु शिक्षकों/अभिभावकों को सुविधा प्रदान करता है।

viii. **डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञता दिशानिर्देश:** ये दिशानिर्देश उन छात्रों के लिए ऑनलाइन / मिश्रित / डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किए गए हैं जो वर्तमान में स्कूलों के बंद होने के कारण घर पर हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न श्रेणी छात्रों के लिए स्क्रीन समय की सिफारिश करते हैं।

ix. **निरंतर अधिगम के लिए अधिगम संवर्धन दिशानिर्देश** : प्रत्येक छात्र तक पहुँचने के लिए 19 अगस्त 2020 को अधिगम संवर्धन दिशानिर्देश जारी की गई थीं।

x. **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)-** ने कक्षा IX से XII के लिए पाठ्यचर्या के लगभग 30% पाठ्यक्रम का युक्तिकरण करते हुए आमने सामने की शिक्षण अधिगम में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

xi. **मनोसामाजिक सहायता के लिए मनोदर्पण-** यह ऐसा पहल है जो छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्यकलापों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है।

*****